उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 23/2016/पी-227/अड़तीस-9-16-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी-।।

लखनऊ : दिनांक- 03 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली के नियम-17 एवं 23 में पूर्व में किये गये प्राविधानों के अनुक्रम में परिवर्तित व्यवस्था के आलोक में उक्त नियमों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। नियम-17एवं 23 में उल्लिखित प्राविधानों (तालिका के कालम-01) को निम्न तालिका के कालम-02 के अनुसार संशोधित समझा जाय:-

वर्तमान व्यवस्था			**संशोधित व्यवस्था**		
1			**2**		
क्र0सं0	**पदनाम/पता**	**समिति में पद**	**क्र0सं0**	**पदनाम/पता**	**समिति में पद**
नियम-17					
1.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष	**1.**	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य।	**2.**	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य।
3.	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य।	**3.**	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।	सदस्य सचिव।
4.	मुख्य अभियन्ता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।	सदस्य।	**4.**	अपर मुख्य कार्यपलाक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।	सदस्य।
5.	अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य।	**5.**	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य।
6.	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य।	**6.**	मुख्य अभियन्ता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।	सदस्य।
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।	**7.**	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।	सदस्य।
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।	**8.**	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य।
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।	**9.**	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	10.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
	11.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
वर्तमान प्रस्तर-23	**प्रस्तावित संशोधित प्रस्तर-23**		
नियम-23			
साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिये क्रमशः ग्यारह एवं पॉच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।	साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिये क्रमशः ग्यारह एवं छः सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा गणपूर्ति के आभाव में स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।		

2- उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 23/2016/ पी-227 (1)/अड़तीस-9-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2709/ए-321/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015, दिनांक-30.12.2015 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधन से कार्यालय निबन्धक समितियों को अवगत कराते हुये यथोचित कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।
5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
9- विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।